कम्प्यूटर पत्रांक- 0809046 दिनांक 0809046

परिपत्र संख्या-न्याय-व0प्रशा0अधि0 / 2008-09 / 635 / वाणिज्य कर.

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 08 :: जुलाई :: 08

1- समस्त ज्वा0कमि0 {(कार्य0)(वि0अनु0शा0/प्र0)} वाणिज्य कर,

2- ज्वा0 कमि0(सर्वो0न्या0कार्य/उ0न्या0कार्य)वाणिज्य कर,
गाजियाबाद, इलाहाबाद/लखनऊ,

3- समस्त ज्वा0कमि0(कार्पो0सेल)वाणिज्य कर,

4- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,

5- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,

6- समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों में निर्धारित समय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के सम्बंध में।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों में की जाने वाली कार्यवाही, विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने की प्रकिया, प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करने की समय सारिणी तथा द्वितीय अपील एवं पुनरक्षिण याचिकाओं में विशेष अधिवक्ता आबद्ध कराये जाने की प्रक्रिया आदि बिन्दुओं पर निर्देश कमिश्नर, व्यापार कर द्वारा परिपत्र संख्या-1621 दिनांक 11-09-2003 से प्रसारित किये गये हैं।

उपरोक्त परिपत्र में मुख्य रुप से यह स्पष्ट किया गया है कि एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन गाजियाबाद को मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से सम्बंधित तथा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ से सम्बंधित मामलों में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु को-आर्डिनेटिंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि वाद से सम्बंधित अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र के व्यापारी द्वारा याचिका या पुनरक्षिण याचिका योजित की गयी है, वे वाद का भलीभाँति परीक्षण करके न्यायालय में पैरवी हेतु मामले का ग्राफ बिन्दुवार आख्या तैयार करते हुये 10 दिन के अन्दर प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से विभाग का पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा किसी भी दशा में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने में एक माह से अधिक समय लगने पर यह माना जायेगा कि सम्बंधित अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। इसी प्रकार विशेष अधिवक्ता आबद्ध कराये जाने अथवा न कराये जाने का अंतिम निर्णय जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा लिया जायेगा।

इसी प्रकार परिपत्र संख्या-1543 दिनांक 05-12-2005 से सर्वोच्च न्यायालय के वादों के सम्बंध में ज्वा0कमि0(सर्वो0न्या0कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ में योजित वादों के लिये ज्वा0कमि0(उ0न्या0कार्य)वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-2/वामसी/445/व्यापार कर, दिनांक 14-03-2005 में स्पेशल कमिश्नर टैक्सेशन से सम्बंधित लम्बित वादों में समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल न करने के सम्बंध में व्यक्त की गयी अप्रसन्नता संसूचित करते हुये प्राथमिकता के आधार पर लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने एवं प्रभावी प्रतिवाद/पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे।

इसके उपरान्त भी मुख्यालय की विभिन्न मीटिंगों में एवं इस सम्बध में जारी कार्यवृत्त के माध्यम से भी निर्धारित समयावधि में सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य बताया गया था और यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि उपरोक्त स्पष्ट एवं निरन्तर निर्देशों के बावजूद भी फील्ड स्तर पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के मामले में अपेक्षित रुचि एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

मुख्यालय द्वारा दिनांक 01-03-2008 को एक माह से पुराने प्रतिशपथ पत्र हेतु लम्बित मामलों की सूची के आधार पर लखनऊ बेंच से सम्बंधित 29 एवं इलाहाबाद बेंच से 24 अधिकारियों के स्पष्टीकरण भी मांगे गये थे,

जिसके प्रत्युत्तर में सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिये गये है तथा विलम्ब के कारणों के सम्बंध में कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ बतायी गयी है। इससे यह आभाष होता है कि मुख्यालय स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त यह कार्यवाही तत्परता से पूर्ण कर दी गयी। यद्यपि यह कार्यवाही पहले भी की जा सकती थी।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से सम्बंधित अधिकारियों को सचेत करते हुये समस्त अधिकारियों को यह कड़े निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ से सम्बंधित मामलों में स्थायी अधिवक्ता/ज्वा0कमि0(सर्वो0न्या0कार्य)/ज्वा0कमि0(उ0न्या0कार्य) नियुक्त कर, इलाहाबाद/लखनऊ द्वारा सूचना प्राप्त होने पर प्रतिशपथ पत्र योजित करने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सम्पन्न कर ली जाये। भविष्य में यदि इस कार्य में किसी स्तर पर उदासीनता पायी गयी तो सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

सम्बंधित ज्वा0कमि0(कार्या0)/वि0अनु0शा0/कार्पो0सेल का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने अधिक्षेत्र से सम्बंधित उपरोक्त वादों की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रुप से करें और यदि यह पाया जाता है कि किसी सम्भाग में बिना किसी उचित कारण के प्रतिशपथ पत्र योजित करने में विलम्ब किया गया है, तो सम्बंधित ज्वा0कमि0 का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

यदि किसी वाद में प्रति शपथ पत्र योजित करने में अधिकारी को कोई कठिनाई हो रही है, तब अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कठिनाई के सम्बन्ध में लिखित रुप से सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर को अवगत कराते हुए पत्र की प्रति मुख्यालय पृष्ठांकित करेगें। सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर सर्वोच्च प्राथामिकता पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्रति शपथ पत्र योजित करने में आ रही कठिनाई का निवारण स्वय करायेगे एव प्रगति का समीक्षा करेगे तथा कठिनाई का निवारण न हो पाने की दशा में सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर के स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से वस्तु स्थिति से कमिश्नर महोदय को अवगत कराया जावेगा, किन्तु यदि सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर / सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्देशानुसार कठिनाई से कमिश्नर महोदय को उपरोक्तानुसार अवगत नहीं कराया गया है तो यह मानने का पर्याप्त आधार होगा कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय में प्रति शपथ पत्र योजित कराये जाने में, मुख्यालय स्तर से समय-समय निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी रुचि नहीं ली गयी है।

अतः उक्त के प्रकाश में पुनः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में यदि कोई ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ पत्र योजित नहीं किया गया है तो सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्या0) / वि0अनु0शा0/कार्पो0सेल का यह दायित्व होगा कि वे सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध, मुख्यालय के निर्देश दिनांक 30-9-2003 के अनुपालन में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करेगें।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्या0)/वि0अनु0शा0/कार्पो0सेल का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपने अधिक्षेत्र से सम्बन्धित टैक्ससेशन से सम्बन्धित लम्बित मामलों में न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रति शपथपत्र योजित किये जाने की प्रगति की समीक्षा बैठक करेगें यदि किसी सम्भाग में ऐसा कोई प्रकरण पाया जाता है जिसमें न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ पत्र योजित नहीं किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर के विरुद्ध भी प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

अतः उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0 सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- मैनुअल अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को 10 प्रतियां।
3- वाद अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 प्रतियां।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।